

Refrigerators

Equipment	Short Title	Notification/Regulation/ Amendment & Date	Reference IS/IEC Standards
Refrigerators	Amendment 14(a)	S.O. 4490(E) dated 11 th Oct, 2024	IS 17550
	14(a)	S.O. 4554(E) dated 26 th September, 2022	
	14(b)	S.O. 4553(E) dated 26 th September, 2022	
	14(d)	No. BEE/S&L/Ref/70/2021-22 dated 30 th September, 2022	



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092022-239147
CG-DL-E-27092022-239147

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4365]
No. 4365]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 2022/आश्विन 4, 1944
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 2022/ ASVINA 4, 1944

विद्युत मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2022

का.आ. 4554(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 183 (अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 और का.आ. 1899 (अ) तारीख 26 मई, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्टार लेवल युक्त घरेलू प्रशीतकों के लिए निम्नलिखित ऊर्जा खपत मानक विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

1. भारत में, यथास्थिति विनिर्मित किए गए, वाणिज्यिक रूप से क्रय, विक्रय या आयातित किए जा रहे आंतरिक प्राकृतिक संवहन (सीधे ठंडे) या प्रबलित वायु परिसंचरण (फ्रास्ट फ्री) द्वारा प्रत्येक घरेलू और उसी प्रकार के ठंडे किए गए प्रशीतक साधित्रों और आई एस (17550 (भाग 3) : 2021 में यथाविनिर्दिष्ट इन विशेषताओं की जांच करने के लिए परीक्षण पद्धतियों की स्थापना की जाएगी, -

(i) आईएस 17550 (भाग 3): 2021 के खंड 6 में यथापरिभाषित ऊर्जा खपत अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा;

- (ii) आईएस 17550 (भाग 3) के खंड 4.8 और उपाबंध ज में यथापरिभाषित कुल मात्रा की अपेक्षा को पूरा किया जाएगा
- (iii) आईएस 17550 (भाग 2) के खंड 4.6 क) और उपाबंध क में यथापरिभाषित पुल-डाउन परीक्षण की अपेक्षा को पूरा किया जाएगा
- (iv) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए जहां भी लागू हो, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के उपाबंधों का अनुपालन किया जाएगा।
- (V) विनिर्माता को आईएसओ 9001 के प्रति प्रमाणित होना चाहिए।

परंतु यह अधिसूचना सिंगल डोर और डबल डोर के सिवाय अन्य प्रशीतक सांघित्रों पर लागू नहीं होगी।

2. (1) परिभाषाएं - इस अधिसूचना में, जब तक कि संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यक न हो, -

- (क) "औसत बिजली की खपत" प्रशीतक सांघित्र द्वारा वॉट (डब्ल्यू) में मापी गई ऊर्जा खपत की औसत दर अभिप्रेत है;
- (ख) "ऊर्जा की खपत" से समय की विनिर्दिष्ट अवधि में प्रशीतक सांघित्र द्वारा उपयोग की जाने वाली या विनिर्दिष्ट प्रचालन के लिए मापी गई वॉट घंटे (डब्ल्यूएच) या किलोवॉट घंटे (कि. वॉ. घं.) में ऊर्जा अभिप्रेत है।
- (ग) "प्रशीतक सांघित्र" से एक या एक से अधिक कक्षों के साथ इंसुलेटेड कैबिनेट जो विशिष्ट तापमान पर नियंत्रित होते हैं और उपयुक्त आकार के होते हैं और घरेलू उपयोग के लिए तैयार होते हैं, प्राकृतिक संवहन या प्रबलित संवहन प्रणाली द्वारा ठंडा किया जाता है जिससे ऊर्जा-खपत के एक या अधिक साधनों द्वारा शीतलन प्राप्त किया जाता है अभिप्रेत है;
- (घ) "प्रशीतक" से खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए प्रशीतक सांघित्र है, जिसमें ताजा खाने के लिए कम से कम एक कक्ष (कंपार्टमेंट) हो अभिप्रेत है।
- (ड.) "भंडारण तापमान" से वह तापमान अभिप्रेत है जिसे प्रशीतक सांघित्र आईएस 17550 (भाग 3): 2021 के भाग 2 के 6.5 में दिए गए अनुबंध के अनुसार बनाए रखने में सक्षम है;
- (च) "परिमाण" से प्रशीतक सांघित्र, या कक्ष या उप कक्ष के अंदरूनी लाइनर के अंदर की जगह अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं।

3. स्टार रेटिंग या स्टार स्तर योजना,- (1) प्रशीतक पर एक लेबल चिपका होगा जिस पर उनकी सापेक्ष वार्षिक ऊर्जा खपत के आधार पर एक स्टार के अंतराल के साथ अधिकतम पांच स्टार प्रदर्शित किए जाएंगे।

(2) प्रशीतक को उनकी वार्षिक ऊर्जा खपत के आधार पर स्टार एक से स्टार पांच में रेट किया जाएगा और जिसमें सारणी 1 और सारणी 2 में अधिकथित एईसी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है।

(3) प्रशीतक का स्टार स्तर आईएस 17550 (भाग 3): 2021 के खंड 6 के अनुसार अवधारित किया जाएगा, अर्थात्:

$$\text{वार्षिक ऊर्जा खपत} = 24 \text{ घंटों में दैनिक ऊर्जा खपत} * 365 \text{ दिन}/1000$$

फ्रॉस्ट फ्री प्रशीतकों की दैनिक ऊर्जा खपत (ईक्षेत्क) में डीफ्रॉस्ट और रिकवरी चक्र के लिए स्थिर अवस्था और वृद्धिशील ऊर्जा खपत सम्मिलित है। सीधे ठंडे प्रशीतकों, ईक्षेत्क में केवल स्थिर स्थिति की परिस्थिति सम्मिलित है।

फ्रॉस्ट फ्री प्रशीतक (एफएफआर) के लिए सारणी 1
(1 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2024 तक विधिमान्य)

स्टार रेटिंग बैंड	एईसी (कि.वाॅ.घं./वर्ष)
1 स्टार *	$(0.157* V_{tot}+243) \leq AEC < (0.180* V_{tot}+279)$
2 स्टार **	$(0.136*V_{tot}+211) \leq AEC < (0.157* V_{tot}+243)$
3 स्टार ***	$(0.118*V_{tot}+184) \leq AEC < (0.136* V_{tot}+211)$
4 स्टार ****	$(0.103* V_{tot} +160) \leq AEC < (0.118*V_{tot} +184)$
5 स्टार *****	$AEC < (0.103*V_{tot}+160)$

सीधे ठंडे प्रशीतक (डीसीआर) के लिए सारणी 2
(1 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2024 तक विधिमान्य)

स्टार रेटिंग बैंड	एईसी (कि.वाॅ.घं./वर्ष)
1 स्टार *	$(0.115* V_{tot}+179) \leq \text{एईसी} < (0.129* V_{tot}+201)$
2 स्टार **	$(0.103* V_{tot}+160) \leq \text{एईसी} < (0.115* V_{tot}+179)$
3 स्टार ***	$(0.091*V_{tot} +141) \leq \text{एईसी} < (0.103* V_{tot}+160)$
4 स्टार ****	$(0.080*V_{tot}+124) \leq \text{एईसी} < (0.091*V_{tot} +141)$
5 स्टार *****	$\text{एईसी} < (0.080*V_{tot}+124)$

टिप्पण: सारणी 1 और सारणी 2 में यथाउल्लिखित विशेष मॉडल के लिए विभिन्न स्टार स्तर बैंड के मान प्रदान किए गए हैं और मॉडल के लिए चुना गया स्टार स्तर प्रत्येक स्टार स्तर बैंड की निचली और ऊपरी सीमाओं पर आधारित होगा।

4. परीक्षण और सहायता –

(1) स्टार स्तर के अवधारण के प्रयोजनों के लिए, प्रशीतक में नीचे दिए गए रूप में सारणी 3 में परिभाषित सभी परीक्षणों की अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा:

सारणी 3

क्र. सं.	परीक्षण की प्रकृति	परीक्षण मानक और खंड संदर्भ
1	दैनिक ऊर्जा खपत	आईएस 17550 का खंड 6 (भाग 3)
2	कुल मात्रा	आईएस 17550 का खंड 4.8 और उपाबंध एच (भाग 3)
3	पुल-डाउन	आईएस 17550 का खंड 4.6 क) और उपाबंध क (भाग 2)

टिप्पण :

1. प्रशीतक पर बीआईएस प्रमाणन चिह्न होगा।
2. विनिर्माता को मॉडलों के रजिस्ट्रीकरण के समय विधिमान्य बीआईएस प्रमाणन चिह्न अनुज्ञप्ति की प्रति प्रस्तुत करनी होगी
- (2) स्टार रेटिंग बैंड के लिए कोई सहायता नहीं होगी और सभी परीक्षण किए गए संधिगत प्रत्येक स्टार रेटिंग बैंड के लिए न्यूनतम सीमा को पूरा करेंगे और स्टार रेटिंग का अवधारण करते समय विनिर्माता द्वारा विनिर्माण सहायता और अन्य विविधताओं के लिए गुंजाइश का हिसाब लगाया जाएगा।
- (3) कुल मात्रा के लिए सहायता सीमा आईएस 17550 (भाग 3) के खंड 4.8.1 के अनुसार होगी और पुल-डाउन तापमान आईएस 17550 (भाग 2) के खंड 4.6 क के अनुसार होगा।
- (4) स्टार स्तर योजना की प्रत्येक दो वर्ष में समीक्षा की जाएगी।

(5) निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्टार रेटिंग का अवधारण करते समय विनिर्माता द्वारा विनिर्माण सहायता और अन्य विविधताओं के विनिर्माण की गुंजाइश को पूर्णांकन के लिए ध्यान में रखा जाएगा-

- (क) वार्षिक ऊर्जा खपत मान और कुल मात्रा को एक दशमलव स्थान तक निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा;
- (ख) मान को आईएस 2:1960 के अनुसार संबंधित पूर्ण अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा।

5. परीक्षण रिपोर्ट - परीक्षण के परिणाम इस अधिसूचना के साथ उपाबंध क में विनिर्दिष्ट रूप विधान में रिपोर्ट किए जाएंगे।

[फा. सं. 10/4/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

उपाबंध क

[पैराग्राफ 5 देखें]

परीक्षण के परिणाम रिपोर्ट करने के लिए प्ररूप

(प्रत्येक प्रकार/मॉडल के लिए अलग परीक्षण रिपोर्ट रूप विधान का उपयोग किया जाएगा)

परीक्षण रिपोर्ट संख्या

तारीख :

1. उत्पाद / उपस्कर ब्यौरे

1.1 साधारण

उपस्कर
प्रकार (उदाहरण के लिए सीधे ठंडे या फ्रॉस्ट-फ्री प्रशीतक)
प्रचालन सिद्धांत (संपीडन)
जलवायु वर्ग (उष्णकटिबंधीय टी)
ब्रांड
मॉडल का नाम और संख्या
विनिर्माता/आयातक का नाम
विनिर्माता का पता
रेटेड कुल मात्रा (लीटर)
विनिर्माण का मास और वर्ष
भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणपत्र ब्यौरे (यदि कोई हो) (अनुज्ञप्ति/प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणपत्र विवरण (अनुज्ञप्ति/प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
वार्षिक बिजली खपत (कि.वाॅ.घं. प्रति वर्ष)
पुल डाउन टाइम (न्यूनतम)

2. आयतन का मापन

क्र. सं.	कक्षों के ब्यौरे	प्रेक्षित / मापा मान
1	सेलर	
2	ताजा खाना	
3	चिल	

4	उद्घाषित (जीरो-स्टार, वन-स्टार, टू-स्टार, थ्री-स्टार और फोर-स्टार के लिए लागू)	
5	खंड एच.2.2 क) से घ) और H.2.3 क) से ग) में यथापरिभाषित घटाया गया आयतन	
10	कुल मात्रा	

3. ऊर्जा खपत परीक्षण

क्र. सं.	विवरण परीक्षण	प्रेक्षित/मापा मान
1	डीफ्रॉस्ट नियंत्रण की संख्या (कोई नहीं, एक या एक से अधिक)	
2	स्थिर अवस्था में बिजली की खपत (डब्ल्यू) क) प्रकरण एसएस1 ख) प्रकरण एसएस2	
3	डीफ्रॉस्ट और रिकवरी ऊर्जा खपत (वॉ. घं.)	
4	तापमान परिवर्तन (कि.वॉ.घं.)	
5	परीक्षण रन करने की संख्या क) सिंगल टेस्ट रन ख) प्रक्षेप द्वारा	
6	दैनिक ऊर्जा खपत	
7	कुल ऊर्जा खपत	
8	विनिर्दिष्ट सहायक गतिविधियां, यदि कोई हो (वैकल्पिक)	

4. पुल डाउन परीक्षण

क्र. सं.	परीक्षण की स्थितियां	प्रेक्षित मान
1	परीक्षण कक्ष परिवेश का तापमान	
2	हीट सोकिंग में लगने वाला समय	
3	परीक्षण की शुरुआत से लेकर एक साथ सभी कक्षों तक लक्ष्य या इससे नीचे के तापमान पर आने की अवधि	
4	प्रत्येक कक्ष में हवा का औसत तापमान पहुंच जाना	
	सेलर	
	ताजा खाना	
	चिल	
5	उद्घाषित (जीरो-स्टार, वन-स्टार, टू-स्टार, थ्री-स्टार और फोर-स्टार के लिए लागू)	
6	पुल डाउन टाइम	

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th September, 2022

S.O. 4554(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 183(E), dated the 12th January, 2009 and S.O. 1899 (E), dated the 26th May, 2016 except as respects things done or omitted to be

done before such supersession, the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency hereby specifies the following energy consumption standards for star labelled household refrigerators namely:-

1. Every household and similar refrigerating appliances cooled by internal natural convection (Direct Cool) or forced air circulation (Frost Free), and establishes test methods for checking these characteristics as specified in IS 17550 (Part 3) : 2021, being manufactured, commercially purchased, sold or imported, as the case may be, in India shall,-

- (i) comply with the energy consumption requirements defined in clauses 6 of IS 17550 (Part 3) : 2021;
- (ii) meet the requirement of total volume as defined in clause 4.8 and Annex H of IS 17550 (Part 3);
- (iii) meet the requirement of pull-down test as defined in clause 4.6 a) and Annex A of IS 17550 (Part 2);
- (iv) comply with provisions of Quality Control Order, wherever applicable issued by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry; and

Provided that this notification shall not be applicable on refrigerating appliances except single door and double door.

2. (1) Definitions.- In this notification, unless the context otherwise requires,-

- (a) “average power consumption” means average rate of energy consumption of a refrigerating appliance measured in watts (W);
- (b) “energy consumption” means energy used by a refrigerating appliance over a specified period of time or for a specified operation measured in watt hours (Wh) or kilowatt hours (kWh).
- (c) “refrigerating appliance” means insulated cabinet with one or more compartments that are controlled at specific temperatures and are of suitable size and equipped for household use, cooled by natural convection or a forced convection system whereby the cooling is obtained by one or more energy-consuming means.;
- (d) “refrigerator” means refrigerating appliances intended for the storage of foodstuff, with at least one fresh food compartment.;
- (e) “storage temperature” means temperature which the refrigerating appliance is capable of maintaining in accordance with the stipulation given in 6.5 of Part 2 of IS 17550 (Part 3) : 2021;
- (f) “volume” means space within the inside liner of the refrigerating appliance, or a compartment or sub compartment.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in Act shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Star rating or star level plan,- (1) There shall be a label affixed on refrigerator which shall display a maximum of five stars with an interval of one star based on their relative annual energy consumption.

(2) The refrigerator shall be rated from star one to star five based on their Annual Energy Consumption and which complies with the Annual Energy Consumption requirements as laid down in Table 1 and Table 2.

(3) The star level of the refrigerator shall be determined as per clause 6 of IS 17550 (Part 3): 2021, as follows, namely:-

$$\text{Annual Energy Consumption} = \text{Daily Energy Consumption in 24 hours} * 365 \text{ days} / 1000$$

Frost Free Refrigerator’s Daily Energy Consumption (E_{daily}) includes steady state and incremental energy consumption for defrost and recovery cycle. Direct Cool Refrigerator’s, E_{daily} includes only steady state conditions.

Table 1 for Frost Free Refrigerator
(Valid from 1st January, 2023 to 31st December, 2024)

Star rating band	Annual Energy Consumption (kWh/year)
1 Star *	$(0.157 * V_{\text{tot}} + 243) \leq \text{AEC} < (0.180 * V_{\text{tot}} + 279)$
2 Star **	$(0.136 * V_{\text{tot}} + 211) \leq \text{AEC} < (0.157 * V_{\text{tot}} + 243)$
3 Star ***	$(0.118 * V_{\text{tot}} + 184) \leq \text{AEC} < (0.136 * V_{\text{tot}} + 211)$
4 Star ****	$(0.103 * V_{\text{tot}} + 160) \leq \text{AEC} < (0.118 * V_{\text{tot}} + 184)$
5 Star *****	$\text{AEC} < (0.103 * V_{\text{tot}} + 160)$

Table 2 for Direct Cool Refrigerator
(Valid from 1st January, 2023 to 31st December, 2024)

Star rating band	Annual Energy Consumption (kWh/year)
1 Star *	$(0.115 * V_{tot} + 179) \leq AEC < (0.129 * V_{tot} + 201)$
2 Star **	$(0.103 * V_{tot} + 160) \leq AEC < (0.115 * V_{tot} + 179)$
3 Star ***	$(0.091 * V_{tot} + 141) \leq AEC < (0.103 * V_{tot} + 160)$
4 Star ****	$(0.080 * V_{tot} + 124) \leq AEC < (0.091 * V_{tot} + 141)$
5 Star *****	$AEC < (0.080 * V_{tot} + 124)$

Note : The values of various star level bands for particular model and the star level chosen for that model shall be based on the lower and the upper limits of each star level band as mentioned in Table 1 and Table 2.

4. Testing and tolerance. -

(1) For the purposes of determining the star level, the refrigerator shall meet the requirements of all the tests defined in Table 3 as given below:

TABLE 3

Serial Number	Nature of Test	Test Standard and Clause Reference
1	Daily Energy Consumption	Clause 6 of IS 17550 (Part 3)
2	Total Volume	Clause 4.8 and Annex H of IS 17550 (Part 3)
3	Pull Down	Clause 4.6 a) and Annex A of IS 17550 (Part 2)

NOTE: 1. Refrigerator shall carry Bureau of Indian Standard certification mark.

2. Manufacturer shall submit copy of valid Bureau of Indian Standard certification marks licence at the time of registration of models

(2) There shall be no tolerance for the star rating bands and all tested appliance shall meet the minimum threshold for each star rating band and the scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer when determining the Star Rating.

(3) The tolerance limit for the total volume shall be as per clause 4.8.1 of IS 17550 (Part 3) and pull-down temperature shall be as per clause 4.6 a) of IS 17550 (Part 2).

(4) The star level plan shall be reviewed in every two years.

(5) The scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer when determining the star rating based on the following points for rounding off-

- the Annual Energy Consumption value and total volume shall be rounded off to nearest whole number upto one decimal places;
- the value shall be rounded off to respective significant figures, as per IS 2:1960.

5. Test report. -The result of the test shall be reported in the format mentioned in the Annexure A appended to this notification.

[F. No. 10/4/2022 - EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

ANNEXURE A

[See paragraph 5]

Form for reporting the test results

(Separate test report format shall be used for each type/models)

Test report No.

Date:

1. Product/Equipment Detail

1.1 General

Equipment
Type (for example Direct cool or frost-free refrigerator)
Operating principle (Compression)
Climate class (Tropical T)
Brand

Model Name and Number
Name of the manufacturer/Importer
Address of the Manufacturer
Rated Total Volume (litre)
Month and Year of manufacturing
Bureau of Indian Standards certificate details (if any) (Attach copy of the License or Certificate)
Quality System certificate details (Attach copy of the License / Certificate)
Annual Electricity Consumption (kWh per year)
Pull down Time (minimum)

2. Measurement of Volume

Srl. No	Description of Compartments	Observed/Measured Value
1	Cellar	
2	Fresh Food	
3	Chill	
4	Evaporator (as applicable for Zero-star, One- star, Two- star, Three- star and Four- star)	
5	Volume deducted as defined in clause H.2.2 a) to d) and H.2.3 a) to c)	
10	Total Volume	

3. Energy Consumption tests

Srl. No	Test Description	Observed/Measured Value
1	Number of defrost control (none, one or more than one)	
2	Steady state power consumption (W) a) Case SS1 b) Case SS2	
3	Defrost and recovery energy consumption (Wh)	
4	Temperature change (KWh)	
5	Number of test run a) Single test run b) By interpolation	
6	Daily Energy Consumption	
7	Total Energy Consumption	
8	Specified Auxiliaries, if any (Optional)	

4. Pull Down Test

Srl. No.	Test Conditions	Observed value
1	Test room ambient temperature	
2	Time taken for heat soaking	
3	The period from the start of the test until all compartments are simultaneously at or below the target temperatures	
4	The average air temperature reached in each compartment	
	Cellar	
	Fresh Food	
	Chill	
5	Evaporator (as applicable for Zero-star, One- star, Two- star, Three- star and Four- star)	
6	Pull down time	



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092022-239146
CG-DL-E-27092022-239146

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4364]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 2022/आश्विन 4, 1944

No. 4364]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 2022/ ASVINA 4, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2022

का.आ. 4553(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 182 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 और का.आ. 1898 (अ), तारीख 26 मई, 2016 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, आंतरिक प्राकृतिक संवहन या प्रबलित वायु परिसंचरण द्वारा ठंडे किए गए प्रत्येक घरेलू और उसी प्रकार के प्रशीतक साधित्रों को विनिर्दिष्ट करती है, और आई एस 17550 (भाग 3) 2021 में यथाविनिर्दिष्ट इन विशेषताओं की जांच करने के लिए परीक्षण पद्धतियों की स्थापना करती है और निर्देश देती है कि ऐसे अन्य साधित्र बिक्री के लिए विनिर्मित किए जा रहे या विक्रय या क्रय या आयातित किए जा रहे साधित्रों के वर्ग पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 में यथाविनिर्दिष्ट रीति से लेबल पर विशिष्टियां संप्रदर्शित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2023 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 10/4/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th September, 2022

S.O. 4553(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 182(E), dated the 12th January, 2009 and S.O. 1898 (E), dated the 26th May, 2016 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency hereby specifies every household and similar refrigerating appliances cooled by internal natural convection or forced air circulation, and establishes test methods for checking these characteristics as specified in IS 17550 (Part 3) : 2021 and direct that any such appliances or class of appliances being manufactured or sold or purchased or imported for sale shall display such particulars on labels in such manner as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022.

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of January, 2023.

[F. No. 10/4/2022 –EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239367
CG-DL-E-06102022-239367

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482]
No. 482]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

सं. बीईई / एस एंड एल / संदर्भ / 70/2021-22.—प्रारूप विनियम अर्थात्: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतकों के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार अधिसूचना संख्या बीईईई/एस एंड एल/रेफ/70/2021-22, तारीख 10 जून, 2022 के द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप विनियमों की प्रतियां जनता को 10 जून, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उपरोक्त कथित अवधि के अंदर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

और जबकि इस संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः अब, ब्यूरो, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ड) और धारा 14 के खंड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रॉस्ट फ्री प्रशीतकों के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 दिनांक 6 जुलाई, 2009 और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 दिनांक 26 मई, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ :- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्ररूप" से इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ग) "लेबल" से प्रशीतक पर चिपकाई गई अथवा प्रदर्शित लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री अभिप्रेत है;
- (घ) "लेबल की अवधि" से धारा 14 के खंड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक के अधीन तुलनात्मक बिजली की खपत की विधिमान्यता अवधि अभिप्रेत है और यदि तुलनात्मक बिजली खपत की विधिमान्यता अवधि की समाप्ति अवधि अधिसूचित नहीं की जाती है तो इसे तब तक विधिमान्य माना जाएगा जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा इसके लिए नए मान अधिसूचित नहीं किए जाते हैं;
- (ङ) "मॉडल या मॉडलों का परिवार" से एक विशेष ब्रांड के मॉडल या मॉडल की श्रेणी अभिप्रेत है, जिसके लिए परीक्षण रिपोर्ट का एक सेट लागू होता है और जहां प्रत्येक मॉडल में समान प्रकार की भौतिक विशेषताएं, बिजली की वार्षिक खपत, ऊर्जा दक्षता स्तर और निष्पादन विशेषताएं हैं;
- (च) "अनुज्ञापत्रधारी" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति या ऐसा अभिकरण है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई है;
- (छ) "प्रशीतक" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के अधीन अधिसूचना में निर्दिष्ट एक उपकरण अभिप्रेत है;
- (ज) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (झ) "स्टार रेटिंग या स्टार लेबल" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन प्रशीतक के लेबल पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक के लेबल पर प्रदर्शित किया गया ऊर्जा दक्षता का ग्रेड अभिप्रेत है, जिसमें प्रशीतक की तुलनात्मक बिजली खपत को दर्शाया जाता है;
- (ञ) लेबल लगे प्रशीतक के संबंध में "व्यापारी अथवा विक्रेता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे प्रशीतक का विक्रय अथवा वितरण करता है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और प्रशीतकों पर लेबल चिपकाने के लिए अनुमति प्राप्त अनुज्ञापत्रधारी शामिल हैं।

(2) यहां इसमें प्रयुक्त उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. लेबल पर प्रदर्शित किया जाने वाला विवरण - (1) प्रत्येक प्रशीतक में, इसके लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां प्रदर्शित की जाएंगी, अर्थात्-

- (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिह्न;
- (ख) निर्माता या आयातक और ब्रांड का नाम;
- (ग) साधित्र का प्रकार;
- (घ) कुल मात्रा;
- (ङ) मॉडल संख्या और विनिर्माण या आयात का वर्ष;
- (च) विशिष्ट श्रृंखला कोड;
- (छ) प्रति वर्ष इकाइयों में बिजली की खपत;

- (ज) स्टार लेबल; तथा
- (झ) लेबल की अवधि
- (2) लेबल की परिकल्पना, रंग, आकार और सामग्री इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में यथा: विनिर्दिष्ट होगा।
4. लेबलों के प्रदर्शन के लिए समय-सीमा - (1) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियों वाला लेबल इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छह माह की अवधि के अंदर प्रत्येक प्रशीतक पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचित पुनरवलोकित ऊर्जा खपत मानकों के आरंभ होने पर और आरंभ होने से, प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी या व्यापारी या विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि-
- (क) पिछले ऊर्जा खपत मानकों के साथ प्रशीतक का उत्पादन नहीं करेगा;
- (ख) प्रशीतक पर ऊर्जा खपत मानक के साथ स्टार स्तर और लेबल अवधि और पुनरीक्षित ऊर्जा खपत मानकों के साथ तुल्यकालिक प्रशीतकों के निर्माण वर्ष को प्रदर्शित करेगा;
- (ग) डीलरों, खुदरा व्यापारियों को जानकारी देने के लिए उनको शिक्षित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार सहित सभी प्रारंभिक कदम उठाए गए हैं और तीन महीने पहले कार्रवाई की जाएगी।
5. लेबल प्रदर्शित करने की रीति - (1) प्रत्येक प्रशीतक पर विक्रय के स्थान पर शीघ्र प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के साथ लेबल प्रदर्शित किया जाएगा और प्रशीतकों पर उक्त लेबल निम्नलिखित तरीके से चिपकाया जाएगा, अर्थात्:-
- (क) प्रशीतक के ऊपरी दाहिने हिस्से के सामने की तरफ चिपके हुए क्यूआर कोड के साथ स्वयं चिपकने वाला लेबल;
- (ख) कार्टन बॉक्स के सामने की तरफ क्यूआर कोड के साथ स्वयं चिपकने वाला लेबल;
- (2) प्रदर्शन पर नहीं रखे गए प्रशीतकों के लिए, लेबल को पैकिंग के बाहरी हिस्से में चिपकाया जा सकता है और विक्रय के समय लेबल को यूनिट पर लगाया जा सकता है।
6. लेबल प्रदर्शित करने की अनुज्ञा-(1) ब्यूरो की पूर्व अनुमति के बिना प्रशीतकों पर कोई स्टार नहीं चिपकाया जाएगा।
- (2) कंपनी रजिस्ट्रीकरण - ब्यूरो की अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक ब्रांड को एक लाख रुपए की लेबल प्रतिभूति शुल्क के साथ, अलग से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जैसा कि प्ररूप I - (क) में निर्दिष्ट किया गया है, भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय है :
- परंतु लघु उद्योग के मामले में, लेबल प्रतिभूति शुल्क केवल पच्चीस हजार रुपए होगा।
- (3) मॉडल रजिस्ट्रीकरण- उप-विनियम (2) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी के प्रत्येक आवेदन के साथ-
- (क) भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय प्रति मॉडल दो हजार रुपए का आवेदन शुल्क; तथा
- (ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में देय; भुगतान के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभूति शुल्क;
- (ग) प्ररूप-1 - (ख) में यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेज
7. अनुज्ञा प्रदान करना - (1) विनियम 6 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर और यह समाधान होने पर कि इसमें दी गई सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो मानक और लेबल लगाने की पर इस मैनुअल में निर्दिष्ट के रूप में उक्त प्राप्ति के एक माह की अवधि के अंदर, विनियम 8 में यथा: विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अध्याधीन के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।
- (क) प्ररूप II-(क) में इलेक्ट्रॉनिक रूप में ब्रांड रजिस्ट्रीकृत करना; तथा

- (ख) प्ररूप II-(ख) में इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रशीतकों पर लेबल लगाने की अनुमति देना।
- (2) ब्यूरो द्वारा प्ररूप-III में रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा और इसमें अनुज्ञापत्रधारी का नाम प्रविष्ट किया जाएगा;
- (3) उप-विनियम (1) के अधीन इस प्रकार प्रदत्त अनुज्ञा उस अवधि तक मान्य होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन यथा: अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक द्वारा स्टार स्तर के लिए विनिर्दिष्ट की गई है;
- (4) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा स्टार रेटिंग योजना के पुनरीक्षण के मामले में, अनुमति के नवीनीकरण का आवेदन इसकी समाप्ति से एक महीने बाद नहीं किया जाएगा और इसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मोड में देय एक हजार रुपए का शुल्क होगा।
परंतु, स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, उक्त नवीनीकरण के एक हजार रुपए के शुल्क से छूट दी जाएगी।
- (5) विधिमान्यता की अवधि समाप्त होने के बाद किसी आवेदन का नवीकरण नहीं किया जाएगा और इस मामले में अनुज्ञापत्रधारी को नया आवेदन पत्र देना होगा;
- (6) उप- विनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर और सभी अपेक्षाएं पूरी होने के संबंध में समाधान होने पर, ब्यूरो उक्त आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह की अवधि के अंदर प्ररूप-II में अनुज्ञा का नवीकरण कर सकता है;
- (7) जो अनुज्ञापत्रधारी उस तारीख से प्रशीतक के मौजूदा मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की अनुज्ञा की मांग करता है, जिस तारीख से पुनरीक्षित स्टार स्तर लागू हुआ है, केवल प्ररूप IV में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा;
- (8) यदि प्रशीतक के नए मॉडल की योजना पुनरीक्षित स्टार स्तर के साथ ताल-मेल बिठाकर शुरू करने की योजना है तो अनुज्ञापत्रधारी नया लेबल चिपकाने की अनुज्ञा लेगा और उक्त अनुज्ञा के लिए आवेदन पुनरीक्षित स्टार स्तर के लागू होने से छह माह पूर्व किया जाए;

8. लेबल पर विशिष्टियां प्रदर्शित करने के लिए नियम और शर्तें:- प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी एवं विक्रेता लेबल पर विशिष्टियां प्रदर्शित करने में निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का पालन करेगा, अर्थात् -

- (क) प्रशीतक के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रशीतक के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होंगे;
- (ख) यह लेबल प्रशीतक के ऐसे मॉडलों पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा ली गई है;
- (ग) लेबल को अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर मुद्रित और प्रशीतकों पर चिपकाया जाएगा;
- (घ) अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशीतक के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बना रहेगा;
- (ङ) अनुज्ञापत्रधारी विनियम 9 में यथा विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;
- (च) अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो को विवरण मुहैया कराएगा जिसमें लेबल लगे उपकरणों को बनाने का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में निम्नलिखित माह के अंदर प्रत्येक तिमाही के लिए देय प्रोद्भूत लेबलिंग शुल्क का विवरण हो;
- (छ) अनुज्ञापत्रधारी, ब्यूरो को अपने लेबल लगे उत्पादों के विक्रय के लिए नियुक्त प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अधिकृत वितरकों, डीलरों और थोक विक्रेताओं एवं विक्रेताओं की सूची मुहैया कराएगा;
- (ज) ऐसे अन्य नियमों एवं शर्तों का पालन करेंगे जो ब्यूरो द्वारा, मानक और लेबल लगाने की के संबंध में ब्यूरो की प्रचालन पुस्तिका में निहित नियमों एवं शर्तों सहित विनिर्दिष्ट किए गए हों;

9. लेबल शुल्क- (1) प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, ब्यूरो को प्रशीतक पर प्रत्येक चिपकाए गए लेबल के लिए पांच रुपए के शुल्क का भुगतान करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक माह के अंदर वार्षिक रूप से किया जाएगा;

परंतु यथा विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर लेबल शुल्क का भुगतान न करने पर, ब्यूरो विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन प्रतिभूति रकम से इस पर प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की दर से इस पर व्याज का भुगतान करेगा और यदि इसे जमा किए जाने की अंतिम तारीख से एक माह के अंदर पूरा लेबलिंग शुल्क वसूल नहीं की जाती, ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को प्रदत्त सभी अनुज्ञा रद्द कर सकता है और अनुज्ञापत्रधारी का नाम चूककर्ता के रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकता है।

10. लेबल प्रतिभूति शुल्क का प्रतिदाय:- विनियम 9 के उप-विनियम (2) के उपबंधों के अधीन, अनुज्ञापत्रधारी को प्रशीतकों का विनिर्माण बंद करने पर लेबल प्रतिभूति शुल्क के प्रतिदाय का अधिकार होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन- (1) ब्यूरो अथवा इसकी नामोद्दिष्ट एजेंसी, स्वयमेव अथवा इसे शिकायत प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि प्रशीतक इसके लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर और अन्य विशिष्टियों के अनुरूप है और कि यह अनुज्ञा के अन्य नियमों एवं शर्तों के अनुपालन में है।

(2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, (क) ब्यूरो अथवा इसकी नामोद्दिष्ट एजेंसी द्वारा विनिर्माता सुविधा अथवा फुटकर विक्रय केन्द्र से यादृच्छिक तौर पर नमूने एकत्र किए जाएंगे; और (ख) निम्नलिखित परीक्षण से नमूने लिए जाएंगे - और इसका परीक्षण किया जाएगा (i) ऊर्जा खपत परीक्षण (ii) कुल मात्रा और (iii) पुल डाउन परीक्षण।

(3) जहां उप- विनियम (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, ब्यूरो द्वारा जांच और अंशांकन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय परीक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में प्रशीतक की जांच को चुनौती देकर सत्यापन करना अपेक्षित है, अनुज्ञापत्रधारी को ऐसे परीक्षण के निष्पादन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा और शिकायतकर्ता को ब्यूरो के पास नमूना लागत, परीक्षण, परिवहन संबंधी खर्च और अन्य आकस्मिक व्यय, ऐसी समयावधि में जमा कराने की मांग करेगा जो ब्यूरो द्वारा विनिर्धारित की गई हो और यदि जांच परीक्षण के अधीन लिए गए नमूने विफल रहते हैं, ब्यूरो को नमूने लेने, नमूने के परिवहन और जांच प्रभागों की लागत के लिए सभी व्यय की प्रतिपूर्ति अनुज्ञापत्रधारी द्वारा वहन की जाएगी और ब्यूरो उल्लिखित व्यय की प्रतिपूर्ति शिकायतकर्ता को करेगा और जहां उपकरण चुनौती परीक्षण पर खरे उतरते हैं, तब शिकायतकर्ता द्वारा जमा कराए गए व्यय जब्त कर लिए जाएंगे;

(4) जहां जांच के लिए प्रशीतकों के नमूने स्वयमेव परीक्षण अथवा चुनौती परीक्षण के दौरान परीक्षण में विफल रहते हैं, अनुज्ञापत्रधारी को एक अन्य अवसर दिया जाएगा और ब्यूरो, अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा विधिवत प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में प्रथम जांच में प्रयुक्त प्रशीतक के दो गुने परिमाण में दूसरा परीक्षण करेगा और ब्यूरो उप-विनियम (3) में संदर्भित चुनौती परीक्षण को देखने या उप-विनियम (4) में संदर्भित दूसरे परीक्षण और नमूने की खरीद और परीक्षण के लिए किए जाने वाले खर्चों के लिए जानकारी को प्ररूप 5 में अनुज्ञापत्रधारी को सूचित करेगा।

(5) दूसरे परीक्षण में विफल रहने पर ब्यूरो, -

(क) प्ररूप VI, में अनुज्ञापत्रधारी को सभी राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को निदेश देगा कि अनुज्ञापत्रधारी दो माह की अवधि के अंदर,

i. प्रशीतक के लेबल पर सही स्टार स्तर प्रदर्शित करेगा अथवा परीक्षण के दौरान त्रुटियों और खराबियों को दूर करेगा;

ii. ब्यूरो के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा; और

iii. विज्ञापित सामग्री पर प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन करेगा।

- (ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो माह के अंदर अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्राण्ड का नाम, मॉडल का नाम अथवा मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विनिर्दिष्टता किसी दैनिक राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय समाचारपत्र अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा यथोचित किसी अन्य तरीके से प्रकाशित करेगा।
- (ग) संबंधित राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसी को ईसी अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ न्यायिक कानूनी कार्रवाई करने की सूचना दें।
- (6) अनुज्ञापत्रधारी उप-विनियम (5) में संदर्भित दो माह की अवधि समाप्त होने के दस दिनों के अंदर,-
- (क) ब्यूरो को दिशा-निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररूप VII में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और
- (ख) यदि खण्ड (क) में संदर्भित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अथवा विनिर्धारित अवधि के अंदर निदेश का पालन किए बिना प्राप्त होती है, तो इसे जारी निर्देशों का गैर-अनुपालन माना जाएगा और ब्यूरो द्वारा इस आशय के आदेश को पारित किया जाएगा।
- (7) ब्यूरो अधिनियम की धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ सभी राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को विनियम-(6) के खण्ड (क) में संदर्भित अनुपालन रिपोर्ट और खण्ड (ख) में जारी आदेशों की एक प्रति, आवश्यक दस्तावेजों सहित भेजेगा और कथित उप-विनियम के खण्ड (ख) के अधीन जारी आदेशों का प्रवर्तन करेगा;
- (8) जहां अनुज्ञापत्रधारी, ब्यूरो द्वारा उप-विनियम (5) के अधीन जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वहां ब्यूरो लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए सभी राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को सूचना देते हुए -
- (क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी को प्रदत्त अनुमति वापस ले लेगा;
- (ख) केन्द्रीय सरकार को अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऊर्जा खपत अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक और ब्यूरो द्वारा उप-विनियम (6) के खण्ड (क) द्वारा संदर्भित आदेशों का अनुपालन करने में विफलता के समर्थन में जांच रिपोर्ट के साथ, विचारार्थ और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ग) के अधीन कार्रवाई करने हेतु रिपोर्ट भेजेगा।
- (ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो माह के अंदर, किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य तरीके से जैसा उचित समझा जाए, अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्देशन प्रकाशित करेगा; और
- (घ) संबंधित राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ आगे अधिनिर्णय कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित करेगा।

12. अनुज्ञा रद्द करना :- ब्यूरो विनियम 7 के अधीन प्रदत्त अनुमति को निरस्त कर सकता है, यदि अनुज्ञापत्रधारी -

- (क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी नियम और शर्त का पालन नहीं करता;
- (ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर लेबल शुल्क का भुगतान नहीं करता;
- (ग) विनियम 11 के अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करता।

परंतु कोई भी अनुमति तब तक रद्द नहीं की जाएगी जब तक कि अनुज्ञापत्रधारी को मामले में सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./304/2022-23]

प्ररूप I – (क)

[विनियम 6 के उप-विनियम (2) देखें]

(कंपनी के लेटर हेड में प्रिंट किया जाए)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतकों के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के अधीन प्रशीतकों के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन-पत्र

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार), चौथा तल, सेवा भवन,
सेक्टर – 1, आर. के. पुरम, नई दिल्ली – 110 066 भारत

मैं / हम _____ (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) _____ की शैली के अंतर्गत _____ (व्यापार का पूरा पता) व्यापार करने के लिए प्रशीतकों का/के विनिर्माता अथवा आयातक हूं / हैं जैसा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर विशिष्टियां और उनके संप्रदर्शन की रीति) विनियम, 2022 में ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट है, प्रशीतकों पर प्रदर्शित करने / लगाने की अनुमति पाने हेतु आवेदन करता हूं / करते हैं।

उपकरण, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, और भुगतान संबंधी विस्तृत विशिष्टियां अनुबंध में दिया गया है। फर्म रजिस्ट्रार अथवा संस्थाओं / उद्योग निदेशक (छोटे पैमाने की इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र या अन्य सदृश दस्तावेजों की प्रति संलग्न है जो फर्म का नाम और इसके विनिर्माण परिसरों को अनुप्रमाणित करते हैं, संलग्न है।

(क) आवेदक/ अधिकृत व्यक्ति : _____ (नाम और पदनाम) कंपनी/ फर्म आदि की ओर से यह आवेदन करने के लिए अधिकृत है और वह इस आवेदन के साथ मुहैया कराई गई सूचना की सटीकता एवं अधिप्रमाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) संपर्क व्यक्ति : _____ (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति है।

(ग) मैं/हम उपरोक्त (क) अथवा (ख) में परिभाषित अधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूं/ देते हैं।

3. मेरी/ हमारी जानकारी और अनुमान के अनुसार, उक्त उपकरण के उत्पादन और विक्रय संबंधी आंकड़े और इनका मूल्य निम्नानुसार हैं:

वर्ष	उत्पादन	विक्रय	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (₹.)
..... से तक अंतिम वर्ष			
वर्तमान वर्ष..... से तक वर्ष (अनुमान)			

4. एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए का लेबल प्रतिभूति शुल्क, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान किया गया है (केवल लेबल प्रतिभूति शुल्क जमा करने के समय ही भरा जाना है)।

5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लेबल लगाने की शुल्क का भुगतान करने को सहमत हूं/हैं।

6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सहमत हूँ/हैं।

7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण को चुनौती देने के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने को सहमत हूँ/हैं।

8. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन-पत्र को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

तारीख दिन (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम) फर्म की मुहर

उपाबंध

(प्ररूप 1 – (क) का पैरा 2 देखें)

1. कंपनी के विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
रजिस्ट्रीकरण का समर्थन करने के लिए संलग्नक:	हां / नहीं
(क) निर्माण या व्यावसायिक परिसर के नाम और पते को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़	
(ख) व्यापार चिह्न प्रमाण पत्र	
(ग) लघु उद्योग प्रमाणपत्र, यदि लागू हो	
(घ) क्वालिटी प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र	

(ड.) अधिकृत हस्ताक्षरी पत्र	
(च) भारतीय मानक अनुज्ञप्ति ब्यूरो, यदि लागू हो	
(छ) भुगतान के लिए भुगतान रसीद ऑनलाइन की जाती है	

2. विनिर्माण परिसर का विशिष्टियां (एक से अधिक विनिर्माण सुविधाओं के मामले में एक अलग तालिका प्रदान की जा सकती है)

विनिर्माण सुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य / देश	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य विशिष्टियां (यदि कोई हो)	

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम) फर्म की मुहर

प्ररूप I - (ख)

[विनियम 6 देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के अधीन प्रशीतकों पर लेबल चिपकाने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

महा निदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर - 1, आर. के. पुरम

नई दिल्ली - 110 066

भारत

मैं / हम _____ (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) _____ की शैली के अंतर्गत _____ (व्यापार का पूरा पता) व्यापार करने के लिए प्रशीतकों का/के विनिर्माता अथवा आयातक हूँ / हूँ जैसा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर विशिष्टियां और उनके संप्रदर्शन की रीति) विनियम, 2022 में ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, प्रशीतकों पर प्रदर्शित करने / लगाने की अनुमति पाने हेतु आवेदन करता हूँ / करते हैं।

2. विनिर्माता सुविधा: उपरोक्त उपकरण _____ (कंपनी का नाम) द्वारा विनिर्मित या आयातित है और _____ (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित है।

3. सूचना का विशिष्टियां : उपकरण, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परीक्षण उत्पादों के लिए प्रमाणन, लेबल और भुगतान संबंधी विस्तृत विशिष्टियां इस प्ररूप के साथ संलग्न अनुबंध में दिया गया है। फर्म पंजीयक अथवा संस्थाओं / उद्योग निदेशक (छोटे पैमाने की इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र अथवा अन्य सदृश दस्तावेजों की प्रति संलग्न है जो फर्म का नाम और इसके विनिर्माण परिसरों को अनुप्रमाणित करते हैं, संलग्न है।

क) आवेदक या अधिकृत व्यक्ति : _____ (नाम और पदनाम) कंपनी या फर्म आदि की ओर से यह आवेदन करने के लिए अधिकृत है और वह इस आवेदन के साथ मुहैया कराई गई सूचना की सटीकता एवं अधिप्रमाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा।

ख) संपर्क व्यक्ति : _____ (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति है।

ग) मैं/हम उपरोक्त (क) अथवा (ख) में परिभाषित अधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूँ/ देते हैं।

4. मानकों का अनुपालन : मैं/हम _____ (उपकरण का नाम) के लिए _____ (अधिसूचना का शीर्षक) के संबंध में अधिसूचना में यथा: विनिर्दिष्ट भारतीय मानकों या अन्य (मानक का नाम और संख्या) _____ के अनुसार गुणवत्ता प्रणाली या अन्य मानकों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो या अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं।

मैंने / हमने, उपकरण की गुणवत्ता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंतरिक प्रयोगशाला _____ अथवा एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला _____ (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण हेतु व्यवस्था कर ली है।

(2) मैंने/हमने अपनी आंतरिक प्रयोगशाला _____ या स्वतंत्र प्रयोगशाला _____ (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण हेतु व्यवस्था की है जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड या इंटरनेशनल लैबोरेटरी एक्क्रेडिटेशन को-ऑपरेशन या एशिया प्रशांत प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग या समकक्ष निकायों द्वारा उपकरणों की गुणवत्ता में स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ वैधानिक आदेश में निर्दिष्ट संगत भारतीय मानकों / अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन या अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन मानकों के विस्तार द्वारा मान्यता प्राप्त है।

प्रयोगशाला का ब्यौरा :

क) प्रत्यायन बोर्ड

ख) प्रत्यायन की स्थिति :

i. प्रयोगशाला के लिए : (हां / नहीं)

ii. परीक्षण मानकों के लिए : निर्दिष्ट संगत उत्पाद मानक का नाम और संख्या)

5. मेरी/ हमारी जानकारी और अनुमान के अनुसार, उक्त उपकरण के उत्पादन और विक्रय संबंधी आंकड़े और इनका मूल्य निम्नानुसार हैं:

वर्ष	उत्पादन	विक्रय	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (₹.)
..... से तक अंतिम वर्ष			
वर्तमान वर्ष..... से वर्ष तक (अनुमान)			

6. (क) इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा दो हजार रुपए की आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।
 (ख) एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए के लेबल प्रतिभूति शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा किया गया है।
 (ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट के लेबल लगाने की शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सहमत हूँ/हैं।
8. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण को चुनौती देने के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने को सहमत हूँ/हैं।
9. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन-पत्र को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।
- तारीख दिन (वर्ष)

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

अनुबंध

[प्ररूप I - (ख) का पैरा 3 देखें]

सूचना का विशिष्टियां

1. उत्पाद / उपकरण का ब्यौरा

1.1 सामान्य

उपकरण	
प्रकार (डायरेक्ट कूल, फ्रॉस्ट-फ्री प्रशीतक)	
प्रचालन सिद्धांत (संपीड़न)	
जलवायु वर्ग (उष्णकटिबंधीय टी)	
ब्रांड	
मॉडल का नाम / संख्या	
निर्माता/आयातक का नाम	
निर्माता का पता	

रेटेड कुल मात्रा (लीटर)	
निर्माण का माह और वर्ष	
भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणपत्र विशिष्टियां (यदि कोई हो) (लाइसेंस/प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणपत्र विशिष्टियां (लाइसेंस/प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
वार्षिक बिजली खपत (किलोवाॅट घण्टा प्रति वर्ष)	
पुल डाउन टाइम (न्यूनतम)	

1.2 तकनीकी जानकारी

क्र. सं.	मॉडल का नाम/ नंबर	मापे गए मान			घोषित मूल्य			टिप्पणी
		कुल मात्रा (लीटर)	वार्षिक बिजली की खपत (किलोवाॅट घण्टा /वर्ष)	स्टार स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	कुल मात्रा (लीटर)	ऊर्जा खपत (किलोवाॅट घण्टा /वर्ष)	स्टार स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	

2. कंपनी का ब्यौरा

कंपनी का नाम :	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम	

3. विनिर्माण परिसर का ब्यौरा

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	

वेबसाइट	
अन्य कोई ब्यौरा	
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम	

4. जांच प्रयोगशाला का ब्यौरा

जांच प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन स्थिति (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
प्रत्यायन की वैधता (समर्थन दस्तावेज संलग्न करें)	
प्रत्यायन का विस्तार	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	


5. लेबलिंग सूचना

प्रारंभ होने की तारीख	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए आवेदन किए गए लेबलों की संख्या पहले वर्ष के लिए – दूसरे वर्ष के लिए – तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पादन श्रृंखला सं	से तक.....

6. भुगतान का विवरण

	कुल रकम	भुगतान का विवरण
आवेदन शुल्क		
प्रतिभूति जमा		

7. प्रशीतकों पर चिपकाए जाने वाले लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है :



तारीख

हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

.....

प्ररूप II – (क)

[विनियम 7 के उप – विनियम (1) का खंड (क) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतकों के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के अधीन प्रशीतकों के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण की अनुमति

नई दिल्ली, तारीख

प्रति,

.....

.....

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर विशिष्टियां और उनके संप्रदर्शन की रीति) विनियम, 2022 के अनुसरण में विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में ब्यूरो आपको इस प्ररूप के साथ संलग्न अनुबंध में निर्धारित अनुमोदनों के विशिष्टियां के अनुसार अपने ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण की अनुमति देता है।
2. यह अनुमति निम्नलिखित के अधीन है —
 - (क) प्रशीतक के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम के धारा के 14 खंड (क) और उपरोक्त विनियमों में प्रदान किए गए शर्तों और निबंधनों के अधीन अधिसूचित प्रशीतकों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा;
 - (ख) प्रशीतक के केवल ऐसे मॉडल पर लेबल की मुहर लगाना जिसके लिए अनुमति दी गई है;
 - (ग) अनुज्ञापत्रधारी के खर्च पर प्रशीतकों पर लेबल का मुद्रण और चिपकाना;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करता है कि प्रशीतकों पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा;
 - (ङ.) अनुज्ञापत्रधारी की ओर से ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले माह के अंदर ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल किए गए उपकरणों के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए अर्जित लेबलिंग शुल्क का विवरण होगा। वही ब्यौरे स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से ब्यूरो को भी प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - (छ) अनुज्ञापत्रधारी प्रशीतकों के ऐसे अन्य विशिष्टियां ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है।
3. अनुज्ञापत्रधारी, ब्यूरो के पूर्वानुमोदन के बिना, वैधता अवधि के दौरान बाजार से रजिस्ट्रीकृत ब्रांड और प्रशीतकों को वापस नहीं लेगा।
4. ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दिखाई देना चाहिए।
5.तारीखमाह..... वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

[प्ररूप II – (क) का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों का विवरण

1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	

2. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड का नाम :

3. विशिष्ट श्रृंखला कोड :

4. अन्य विशिष्टियां, यदि लागू हो तो :

तारीख :

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप II (ख)

[विनियम 7 के उप-विनियम (1) और (4) का खंड (ख) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतकों के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के अधीन प्रशीतकों पर लेबल चिपकाने के लिए अनुमति या अनुमति का नवीनीकरण

नई दिल्ली, तारीख

प्रति,

.....

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन का तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में ब्यूरो एतद्वारा आपको इस प्ररूप के साथ संलग्न अनुबंध में निर्धारित अनुमोदनों के विशिष्टियों के अनुसार लेबल लगाने की अनुमति दी जाती है।
2. यह अनुमति निम्नलिखित के अधीन है —
 - (क) प्रशीतक के लेबलों पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा के 14 खंड (क) और उपरोक्त विनियमों में प्रदान किए गए शर्तों और निबंधनों के अधीन अधिसूचित प्रशीतकों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा;
 - (ख) लेबल केवल प्रशीतकों के ऐसे मॉडल पर लगाया जाएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है;
 - (ग) लेबल, अनुज्ञापत्रधारी के खर्च पर मुद्रित किया और प्रशीतकों पर चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशीतकों पर प्रदर्शित स्टार स्तर हमेशा बना रहेगा;
 - (ङ.) अनुज्ञापत्रधारी प्रति लेबल पांच रुपए के लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले माह के अंदर ब्यूरो को एक विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल किए गए उपकरणों के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए अर्जित लेबल लगाने की शुल्क का विशिष्टियां होगा। वही ब्यौरे स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से ब्यूरो को भी प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - (छ) अनुज्ञापत्रधारी प्रशीतकों के ऐसे अन्य विशिष्टियां ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है।
3. यह अनुमति सेतक मान्य होगी और निर्धारित विवरण के अनुसार इसका नवीकरण कराया जा सकता है। अनुज्ञापत्रधारी बाजार से अनुमति की वैधता अवधि के दौरान ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रशीतकों को वापस नहीं लेगा।
4. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उपकरण के लिए दी गई विशेष लेबल श्रृंखला है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार यह लेबल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
5. जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा समीक्षाधीन स्टार स्तर योजना में आशोधन किया गया है, प्रशीतकों का स्टार स्तर निम्नानुसार आशोधित होगा : -
 - (क) यदि पुनरीक्षित स्टार स्तर के तुल्यकालिक रूप में नया मॉडल शुरू किया जाता है तो इसकी अनुमति हेतु ब्यूरो के पास उस तारीख से 6 माह अग्रिम में आवेदन किया जाए जिस तारीख से नए स्टार स्तर लागू होंगे;
 - (ख) जहां परिवर्तित स्टार स्तर लागू करने के लिए विद्यमान मॉडल को जारी रखा जाता है, ब्यूरो के पास घोषणा केवल इस विनियम के साथ संलग्न प्ररूप IV में प्रस्तुत की जाएगी।
6.तारीखमाह..... वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

[प्ररूप 2 (ख) का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों के ब्यौरे

1. उपकरण का ब्यौरा


उपकरण और प्रकार
ब्रांड
मॉडल का नाम / संख्या
कुल मात्रा
विनिर्माण का वर्ष

क्र. सं.	मॉडल का नाम/नंबर	मापे गए मान			घोषित मान			टिप्पणियां
		कुल मात्रा (लीटर)	वार्षिक बिजली की खपत (कि.वा.घं./वर्ष)	स्टार स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	कुल मात्रा (लीटर)	ऊर्जा खपत (कि.वा.घं./वर्ष)	स्टार स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	

2. लेबल ब्यौरे

उपकरण	
प्रकार	
विनिर्माता / आयातक / ब्रांड का नाम	
मॉडल का नाम / संख्या	
विनिर्माण का वर्ष	
कुल मात्रा (लीटर)	
वार्षिक बिजली की खपत (कि.वा.घं./वर्ष)	
स्टार स्तर	
लेबल की अवधि	

3. प्रशीतक पर लगाया जाने वाला ब्यूरो द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित लेबल का नमूना, जो नीचे दर्शाया गया है :



प्रशीतक पर लगाए गए लेबल में पत्र में दी गई विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख किया जाता है।

4. लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना, सामग्री और लेबल की अंतर्वस्तु तथा ब्यूरो लोगो की रंग योजना होगी।

तारीख

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 3

[विनियम 7 के उप-विनियम (2) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले अनुज्ञापत्रधारियों के रजिस्टर (टेम्पलेट)

क्र. सं.	आवेदन सं. और अनुज्ञा की तारीख	अनुज्ञापत्रधारी का नाम और ब्यौरा (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन नं., फैक्स नं., ई-मेल, वेबसाइट)	उपकरण के ब्यौरे जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है	घोषित स्टार स्तर या दक्षता स्तर	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अनुज्ञा संख्या और विशिष्ट लेबल श्रृंखला	वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल प्रतिभूति शुल्क की रकम	इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख: से प्राप्त लेबल प्रतिभूति शुल्क	प्राप्त आवेदन शुल्क की रकम	इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख: से प्राप्त आवेदन शुल्क की रकम का ब्यौरा
(8)	(9)	(10)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान लगाए गए लेबलों की कुल संख्या	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए देय शुल्क के लेबल लगाने की रकम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष (इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख:) के लिए प्राप्त ब्यौरे के लेबल लगाने की रकम	टिप्पणियां
(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप 4

[विनियम 7 के उप-विनियम (7) देखें]

अनुज्ञापत्रधारी द्वारा विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की मांग करते हुए

घोषणा

(प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध सहित एक पृथक पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)

(निगमित निकाय / अनुज्ञापत्रधारी के शीर्षनामा पर)

तारीख :

सेवा में,

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर – 1, आर. के. पुरम

नई दिल्ली – 110 066

भारत

विषय : से प्रभावी स्टार स्तर में पुनरीक्षण के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 द्वारा लेबल लगाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र

1. मैं/हम [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] की शैली में [कंपनी का नाम, पूरे पते सहित] में कारोबार करने वाला/वाले प्रशीतक का/के विनिर्माता/ आयातक हूं/ हैं और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 में ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रशीतक पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसमें..... से स्टार स्तर में पुनरीक्षण होगा।

2. उपरोक्त उपकरण [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित या आयातित है और इसका (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित किया गया है या (आयातक का नाम और पता) से आयात किया गया है।

3. नए स्टार स्तर के लिए अनुरूपता : मैं/हम प्रशीतक के लिए अधिसूचना का. आ. सं. तारीख को स्वीकार करते हैं। उपरोक्त उपकरण के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुमोदन की प्रति (जिसे पूर्व में अनुमोदित किया गया था) संलग्न है।

4. प्रशीतक के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के पुनरीक्षण के अनुसार) की प्रति संलग्न है।

5. स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार उपकरण/मॉडल के ब्यौरे

मॉडल का नाम –

विशिष्टियां	घोषित मान	
कुल मात्रा (लीटर)	--	
वार्षिक बिजली खपत (कि.वाॅ.घं./वर्ष)	--	
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्टार स्तर के अनुसार)	(पुनरीक्षित स्टार स्तर के अनुसार)

6. मैं/हम, स्टार स्तर को मैन्युअल आवेदन तथा ऑनलाइन वेब पोर्टल में (विद्यमान स्टार लेबल स्तर) को (पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर) में बदलने के लिए सहमत हैं।

7. मैंने उक्त प्रशीतक मॉडल के लिए अभी तक तिमाही उत्पादन आंकड़े और लेबल लगाने की शुल्क जमा कर दी है।
8. मैं/हम, ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और निबंधनों का पालन करने और यदि ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ की जाती है, उसे आवश्यक सहायता/ सहयोग देने को सहमत हूँ/हैं।
9. मैं/हम, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती पुनरीक्षण के लिए नमूने का चयन करने को प्राधिकृत करता हूँ / करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने को सहमत हूँ।
10. मैं/हम यह वचन देता हूँ/ देते हैं कि इस आवेदन – पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी पूरी जानकारी के अनुसार सही है और यदि इसमें दी गई कोई सूचना गलत पाई जाती है, आवेदन को तत्काल रद्द कर दिया जाए।

तारीख..... दिन (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कृते और की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 5

[विनियम 11 का उप विनियम (4) देखें।

अनुज्ञापत्रधारी को चुनौती परीक्षण/दूसरा परीक्षण देखने के लिए सूचना

नई दिल्ली, तारीख

सेवा में,

.....

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में आपको बीईई पत्र सं. तारीख के अनुसार प्रशीतकों पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों के अनुपालन के अध्याधीन दी गई थी।

2. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के अधीन तारीख को रुपये की कीमत पर तारीख की बीजक संख्या स्वप्रेरणा से परीक्षण या चुनौती परीक्षण के प्रयोजन से द्वारा आपके प्राधिकृत वितरक / डीलर / खुदरा व्यापारी से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्टार लेबल वाला प्रशीतक क्रय किया गया था। पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विशिष्टियों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक अभिकरण, मैसर्स द्वारा क्रय किया गया था। नमूना मैसर्स द्वारा क्रम सं. सहित मैसर्स (वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी का नाम) से सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित सम्यक रूप से मुहरबंद किया गया था।

3. ब्यूरो अपने पूर्वोक्त अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को मैसर्स जो अधिसूचना संख्यांक का आ के उपाबंध में दिए गए प्ररूप के अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए अधिसूचना संख्यांक का. आ. तारीख के पैरा 3, 4 और 5 में उपदर्शित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड प्रत्यायित प्रयोगशाला है, तक लेकर गया।

4. उत्पाद का ब्यौरा और स्वप्रेरणा से परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) इस पत्र के साथ संलग्न हैं। अतः अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित (तारीख) को (प्रयोगशाला का नाम) पर स्वप्रेरणा से परीक्षण/चुनौती परीक्षण (जैसा लागू हो) आयोजित कर रहा है।

5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अनुसार, ब्यूरो सूचित करता है –

(i) नामनिर्दिष्ट अधिकारी के नाम, पदनाम और हस्ताक्षर का संकेत (मूल रूप में) एक प्राधिकरण पत्र के साथ विनिर्दिष्ट उपरोक्त तारीख पर चुनौती परीक्षण / दूसरे परीक्षण को देखने के लिए एक अधिकारी को नामनिर्दिष्ट (पत्र कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और मुहरबंद किया जाएगा) करें।

(ii) इस पत्र के जारी होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के अंदर उपापन, परिवहन, परीक्षण और अन्य आकस्मिक व्ययों के लिए ऐसी लागत जमा करें, जैसा कि इस प्ररूप के साथ संलग्न उपाबंध में उल्लिखित किया गया है (व्यय इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से जमा किया जाएगा)।

6. आप ध्यान दें कि ब्यूरो चुनौती परीक्षण या दूसरे परीक्षण द्वारा सत्यापन जारी रखेगा, भले ही उपर्युक्त व्यय समय पर नहीं किए गए हों या अधिकारियों को यथाविनिर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे।

7.तारीखमाह..... वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित

संलग्नक :

1. उत्पाद के ब्यौरे / स्वप्रेरणा से परीक्षण के परिणाम
2. उपाबंध
3. व्यय से संबंधित बीजक

उपाबंध

[प्ररूप 5 का पैरा 5 देखें]

सूचना का ब्यौरा

1. चुनौती परीक्षण / दूसरे परीक्षण के लिए उठाए गए उत्पाद या उपकरण ब्यौरे

ब्रांड का नाम :
विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड :
मॉडल का नाम/मॉडल नंबर :
प्रकार :
कुल मात्रा (लीटर):
विनिर्माण का वर्ष:
वार्षिक बिजली खपत (कि.वाॅ.घं. / वर्ष)
स्टार स्तर

2. ब्यूरो के पास जमा की जाने वाली रकम :

ब्यूरो	संख्या/व्यय (भारतीय रुपए में)
नमूनों की संख्या	
प्रति नमूना लागत	
कुल क्रय लागत	
कुल परीक्षण शुल्क	
यातायात भुगतान (यदि लागू हो)	
अन्य (यदि लागू हो)	
अनुज्ञापत्रधारी द्वारा संदत्त की जाने वाली कुल रकम	

3. स्वप्रेरणा से परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) :

क्र. सं.	ब्रांड	मॉडल का नाम / संख्या	मापे गए मूल्य			घोषित मूल्य			टिप्पणियां
			कुल मात्रा (लीटर)	वार्षिक बिजली खपत (कि.वाॅ.घं. / वर्ष)	स्टार स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	कुल मात्रा (लीटर)	ऊर्जा खपत (कि.वाॅ.घं. / वर्ष)	स्टार स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	

तारीख

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप 6

(विनियम 11 के उप-विनियम (5) देखें)

दूसरे जांच परीक्षण में असफल होने पर अनुज्ञापत्रधारी को निदेश

नई दिल्ली , तारीख

सेवा में,

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पत्र सं. तारीख के अनुसार प्रशीतक पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों के अनुपालन के अध्यक्षीन दी गई थी।

2. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम के अधीन आपको प्राधिकृत वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्टार लेबल प्रशीतक रुपये की कीमत पर बीजक संख्या तारीख को को क्रय किया गया था और पूर्वोक्त खरीदे गए प्रशीतक पर आपके द्वारा चिपकाए गए पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विशिष्टियों के सत्यापन के लिए एक नमूना तारीख को ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक अभिकरण मैसर्स द्वारा उठाया गया था। नमूना मैसर्स द्वारा क्रम सं. सहित मैसर्स (वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी का नाम) से अभिप्राप्त, सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर द्वारा सम्यक रूप से मुहरबंद किया गया था।

3. ब्यूरो अपने पूर्वोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को मैसर्स जो का. आ. सं. तारीख के उपाबंध के अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए का. आ. संख्यांक तारीख के पैरा 4 और पैरा 5 में उपदर्शित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड प्रत्यायित प्रयोगशाला, तक लेकर गया।

4. विशिष्ट पहचान क्रम संख्या वाले नमूने की जांच रिपोर्ट के परिणाम संलग्न है। जांच रिपोर्ट के परिणाम उपदर्शित करते हैं कि प्रशीतक के नमूने प्रत्येक वर्ष यूनिट में ऊर्जा उपभोग, मानक, विनिर्दिष्ट कुल मात्रा आदि को पूरा करने में असफल था और आपके द्वारा विनिर्मित / आयातित प्रशीतकों पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा मांगने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के साथ उपाबद्ध प्ररूप - 1 के में आपके द्वारा दिए गए जांच ब्यौरे के अनुरूप नहीं है। परीक्षण परिणाम आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या तारीख द्वारा प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम से आपको भेजे गए थे। राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्स में नमूनों की दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण में उपस्थित होने और साक्ष्य के लिए भी आपसे अनुरोध किया गया था।

5. दूसरी जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूना हमारे प्राधिकृत अभिकरण मैसर्स के माध्यम से तारीख को लिया गया था और हमारे प्राधिकृत अभिकरण द्वारा मैसर्स द्वारा सम्यक रूप से मुहरबंद करके राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड प्रत्यायित प्रयोगशाला तक लाया गया औरसे, सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि और आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों के अधीन प्राप्त उक्त नमूने पर उकेरी गई एक विशिष्ट पहचान क्रम संख्या दी गई।

6. दूसरी जांच सत्यापन परीक्षण के परिणाम संलग्न है जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकारी कार्मिक द्वारा सम्यक रूप से जांच किए गए और प्रतिहस्ताक्षरित किए गए हैं। परीक्षण रिपोर्ट दूसरी जांच रिपोर्ट के एक साक्षी के रूप में हमारे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित भी है। परीक्षण परिणाम यह पुष्टि करते हैं कि विनिर्मित आयातित और बाजार में बेचे गए प्रशीतक का.आ. संख्यांक तारीख में दिए गए अपेक्षित पैरामीटरों तथा मानकों और उन पर चिपकाए गए लेबल पर संप्रदर्शन के लिए विशिष्टियां आपको दी गई अनुज्ञा की शर्तों और निबंधनों को पूरा नहीं करती है।

7. अतः अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो निदेश देता है कि :-

- (i) प्रशीतक के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर को सही करें या परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और कमियों को दूर करें;
- (ii) ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक वापस लें ; और
- (iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदलें।

8. आपको निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के जारी किए जाने की तारीख से दो मास के भीतर उपर्युक्त सुधार संबंधी कार्रवाई पूरी करें और दो मास की समाप्ति के पश्चात् 10 दिन के भीतर अर्थात् तक प्ररूप VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) के विनियम 11 के उप-विनियम (6) के खंड (ख) के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

9. ब्यूरो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के विनियम (5) (6) (7) और (8) के निबंधनों के अनुसार मामले में आगे अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

1. असफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप 7

(विनियम 11 का उप विनियम (6) देखें)

अनुपालन रिपोर्ट

(संगठन के शीर्षनामा पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

तारीख

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर - 1, आर. के. पुरम

नई दिल्ली - 110 066, भारत

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, हम मेसर्स. तारीख..... प्रशीतक के विनिर्माता को मॉडल संख्या..... के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पत्र संख्या तारीख..... के स्टार स्तर के ऊर्जा उपभोग मानक के समतुल्य प्रशीतक पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अनुसरण में, हमें आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए पत्र संख्या तारीख..... द्वारा निदेश दिए गए थे। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निदेश को ध्यान में रखते हुए, हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई कर ली गई है।

	निदेशित कार्रवाई	अवस्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निदेशों का अनुपालन करने के लिए प्रशीतक के लेवल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर सुधारें	हां/नहीं/लागू नहीं होता	स्टार स्तर (तारीख)से प्रभावी स्टार..... से स्टार तक सही किया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस लिए जाएं। और	हां/नहीं/लागू नहीं होता	ब्यूरो के निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक को वापस ले लिया गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियां बदलें।	हां/नहीं/लागू नहीं होता	हां/नहीं/लागू नहीं होता

उपरोक्त दी गई घोषणा हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

कृते और के लिए

फर्म/कंपनी का नाम आदि

फर्म/कंपनी की मुहर


अनुसूची

(विनियम 3 का उप-विनियम (2) देखें)


प्रशीतकों के लेबलों पर संप्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां

(1) लेबल डिजाइन

(i) आयाम :



(ii) रंग योजना : -



नीला -

रंगत (H)-239° संतृप्ति (S) : 64% द्युति (B):59%

ज्योतिर्मयता या हल्कापन(L) : 28, रंग संबंधी घटक -a:24 b:54

लाल (R) : 54 हरा (G) : 55 नीला (B):151

सायन (C):97% मैजेंटा (M):95% पीला (Y):6% काला (K):1%

वेब रंग कोड - #363797

हरा -

रंगत (H)-150° संतृप्ति (S):10% द्युति (B):67% ज्योतिर्मयता या हल्कापन(L)

: 61, रंग संबंधी घटक -a:-53 b:32 लाल (R):0 हरा (G):170 नीला (B):87

सायन (C):81% मैजेंटा (M):10% पीला (Y):90% काला (K):1% वेब रंग कोड - #00AA56;

(2) लेबल की सामग्री

लेबल टिकाऊ गत्ते का होना चाहिए, यदि इसे स्विंग टैग के रूप में संलग्न किया जाना है या स्वतः चिपकने वाला हो, और लेबल के लिए आयाम डिजाइन स्कीम में दिखाई गई रूपरेखा पर काटना होगा।

**THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2022

No. BEE/S&L/Ref/70/2021-22.—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022, were published *vide* notification number No. BEE/S&L/Ref/70/2021-22, dated the 10th June, 2022 as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said draft regulations were made available to the public on 10th June, 2022;

And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the period aforesaid;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), and in supersession of the Bureau of Energy Efficiency (Particular and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 dated 6th July, 2009 and the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Direct Cool Refrigerators) Regulations, 2016 dated 26th May, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersessions, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition: - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);

(b) “Form” means a form appended to these regulations;

- (c) “label” means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, refrigerator;
- (d) “label period” means the validity period of the comparative electricity consumption under energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 and in case the end period of the validity period of the comparative electricity consumption is not notified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;
- (e) “models or family of models” means the model or range of models of one particular brand, to which a single set of test reports is applicable and where each of the models has the same physical characteristics, annual electricity consumption, energy efficiency level and performance characteristics;
- (f) “permittee” means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
- (g) “refrigerators” means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;
- (h) “Schedule” means the Schedule annexed to these regulations;
- (i) “star rating or star level” means the grade of energy efficiency displayed on the label of the refrigerator based on energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act to denote the comparative electricity consumption of refrigerator;
- (j) “trader or seller” in relation to any labelled refrigerator means a person who sells or distributes any such refrigerator and includes the shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such refrigerator.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on label.- (1) On every refrigerator, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

- (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (b) name of manufacturer or importer and brand;
- (c) appliance type;
- (d) total Volume;
- (e) model number and year of manufacturing or import;
- (f) unique series code;
- (g) electricity consumption in units per year;
- (h) star level; and
- (i) label period.

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels. - (1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every refrigerator within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller-

- (a) shall not produce the refrigerator with the previous energy consumption standards;

- (b) the refrigerator shall display star level and label period with the energy consumption standard and the manufacturing year of the refrigerator in synchronization with revised energy consumption standards;
- (c) All preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken three months in advance.
5. Manner of display of label.- (1) On every refrigerator, shall be displayed label along with Quick Response (QR) code at the point of sale and such label shall be affixed on the refrigerator in the following manner, namely:-
- (a) self-adhesive label along with QR code affixed on the front side of the upper right portion of refrigerator;
- (b) self-adhesive label along with QR code affixed on the front side of the carton box.
- (2) For refrigerator not on display, the label may be affixed to the exterior of the packing and the label may be attached to the unit when put on sale.
6. Permission for display of label.- (1) No star label shall be affixed on a refrigerator without obtaining the prior permission of the Bureau.
- (2) Company registration.- For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I – (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode of payment:
- Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.
- (3) Model registration.- Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—
- (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by electronic mode of payment; and
- (b) a label security fee of one lakh rupees, payable in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi; by any acceptable electronic mode of payment:
- (c) documents specified in Form I (B).
7. Grant of permission.- (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, grant, as specified in its Manual on standards and labelling, subject to such terms and conditions as specified in regulation 8, –
- (a) register the brand in Form II (A) in electronic form; and
- (b) grant permission for affixing label on refrigerator in Form II (B) in electronic form.
- (2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of the permittee therein.
- (3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level as specified in the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.
- (4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.
- Provided that in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.
- (5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.
- (6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.

(7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the refrigerator from the date from which the revised star level comes into force shall submit only a declaration in Form IV.

(8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the refrigerator is planned to be launched to synchronise with the revised star level and application for such permission may be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label.- Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:-

- (a) the star level displayed on the label of refrigerator shall conform to energy consumption standards for refrigerator notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
- (b) the label shall be affixed only on such model of refrigerator for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the refrigerator at the cost of permittee;
- (d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of refrigerator shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;
- (h) comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Operation Manual on Standards and Labelling.

9. Label fee.- (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of five rupees for each label affixed on the refrigerator.

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security fee made under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6, and if complete labeling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

10. Refund of label security fee.- Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture refrigerator.

11. Verification by Bureau.- (1) The Bureau or its designated agency may, either suo motu, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the refrigerator conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) For the purpose of verification- (a) samples shall be picked up at random by the Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet (b) samples shall be picked up from following Test.- and shall be subjected to (i) Energy consumption test (ii) Total volume and (iii) Pull down test.

(3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the refrigerator in an independent laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, a notice shall be issued to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau, and if the sample drawn under challenge testing fails, all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges, shall be

reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then, the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.

(4) Where samples of refrigerator used for testing fails the test during suo motu testing or challenge testing, the permittee shall be offered another opportunity and the Bureau shall conduct second test with twice the quantity of refrigerator used in the first test in an independent test laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee and the Bureau shall intimate the permittee in Form V to witness the challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4) and the expenses to be made towards the procurement and testing of sample.

(5) Where the second test fails, the Bureau shall,-

(a) direct the permittee in Form VI, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall, within a period of two months,-

(i) correct the star level displayed on the label of the refrigerator or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material;

(b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit, within two months;

(c) Intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(6) The permittee shall within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (5),-

(a) send the compliance report in Form VII to Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and

(b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.

(7) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of the said sub-regulation.

(8) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies for the reasons to be recorded in writing, shall,-

(a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

(b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (6) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;

- (c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months; and
- (d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of permission.- The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee –

- (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
- (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;
- (c) does not comply with the direction issued under regulation 11.

Provided that no permission shall be cancelled unless the permittee has been given an opportunity being heard in the matter.

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./304/2022-23]

FORM I – (A)

[See sub-regulation (2) of regulation 6]

(To be printed on Company letter head)

Application for registration of brand of refrigerator under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022.

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India) 4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram, New Delhi – 110 066 India.

I/We am/are the manufacturer/manufacturers of refrigerator carrying out business at.....
(full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on refrigerator as specified by the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022.

The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/Authorised person: (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm or other authorities. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

(b) Contact person (Name and designation) is authorised to be the contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above

3. Production and sale figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year from..... to.....			
Current year from..... to (estimate)			

4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees as the case may be has been paid by electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).

5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.

6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co- operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm) SEAL OF FIRM

Annexure

[See para 2 of Form I – (A)]

1. Details of the Company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration:	

(a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises	Yes/No
(b) Trade mark certificate	
(c) Small scale industries Certificate, if applicable	
(d) Quality Management System Certificate	
(e) Authorised signatory letter	
(f) Bureau of Indian standards license, if applicable	
(g) payment receipt for payment is made online	

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin code	
State / Country	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm) Seal of the Firm

FORM I- (B)**[See regulation 6]****Application for permission to affix label on refrigerator under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022**

The Director General
 Bureau of Energy Efficiency
 (Ministry of Power, Government of India)
 4th Floor, Sewa Bhawan,
 Sector – 1, R.K.Puram
 New Delhi-110 066
 India.

I/ We are the manufacturers or importers of refrigerators carrying out business at _____ (full business address) under the style of _____ (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on refrigerator as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022.

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by _____ (Name of the company) and is manufactured at _____ (Name and address of the factory)

3. Details of information: The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for the test products, labels and payment is given in Annexure appended to this form. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant or authorised person: _____ (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company or firm or etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application.

(b) Contact Person: _____ (Name and Designation) is the authorised contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above

4. Conformance to Standards: (1) I/We conform to the Bureau of Indian Standard or other International Standards in respect of quality system or other standards in accordance with Indian standards or others (name and number of the standard) as specified in the notification on(title of the notification) for the (name of the equipment).

(2) I/We have made arrangements for testing at our in-house laboratory _____ or at independent laboratory _____ (Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or International Laboratory Accreditation Cooperation or Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation or equivalent bodies for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian standards/International organisation for standardization or International electrotechnical commission standards as specified in Statutory order.....

Laboratory details:

(a) Accreditation Board:

(b) Accreditation status:

(i) For laboratory: (yes/no)

(ii) For Test Standards: (Specify relevant product standard name and number)

(c) Bureau of Energy Efficiency approval:

5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year from _____ to _____			
Current year from _____ to _____ (estimate)			

6. (a) An application fee of two thousand rupees paid by electronic mode.

(b) A Label security fee of one lakh rupees or twenty five thousand rupees _____ has been paid by electronic mode.

(c) I/We agree to pay the labeling fee as specified by the Bureau.

7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the bureau in case of any enquiry to be made by it.

8. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

9. I/We undertake that the information provided in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith

Dated this day of (Year)

Yours Faithfully,

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure

[See para 3 of Form 1(B)]

Details of Information

1. Product/Equipment Detail

1.1 General

Equipment
Type (Direct cool, frost-free refrigerator)
Operating principle (Compression)
Climate class (Tropical T)

Brand
Model Name / Number
Name of the manufacturer/Importer
Address of the Manufacturer
Rated Total Volume (litre)
Month and Year of manufacturing
Bureau of Indian Standards certificate details (if any) (Attach copy of the License / Certificate)
Quality System certificate details (Attach copy of the License / Certificate)
Annual Electricity Consumption (kWh per year)
Pull down Time (minimum)

1.2 Technical details

Sl. No.	Model Name/ No.	Measured Values			Declared Values			Remarks
		Total Volume (litre)	Annual Electricity Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	Total Volume (litre)	Energy Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	

2. Details of the company

Name of the company:	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Name of the Authorized representative	

3. Details of the manufacturing premise

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Any other details	
Name of the Authorized representative	

4. Details of test laboratory

Name of the test Laboratory	
Accreditation status (Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Scope of Accreditation	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	



5. Labeling information

Date of commencement	
Number of labels applied for Bureau of Energy Efficiency for the first year - for the second year - for the third year -	
Product Serial No.	From _____ To _____

6. Payment details

	Total Amount	Details of Payment
Application Fee		
Security Deposit		

7. Specimen of the label to be affixed on the refrigerator is shown below:



Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....
(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

.....

FORM II – (A)

[See clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 7]

Permission for registration of brand of refrigerator under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022New Delhi,
dated.....

To

.....
.....
.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerator) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure appended to this form.
2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the refrigerator shall conform to energy consumption standards for refrigerator notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the stamping of the label only on such model of refrigerator for which permission has been granted;
 - (c) the printing and affixture of the label on the refrigerator at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee ensuring that the star level displayed on the refrigerator shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;
 - (f) the permittee furnishing to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;
 - (g) the permittee making available such other details of refrigerator as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the refrigerator from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.
5. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth year.

Yours faithfully

(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency

Annexure**[See para 1 of Form II-(A)]****Details of Approvals****1. Details of the company**

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	

2. Name of the brand registered:**3. Unique series code:****4. Other details if applicable:**

Date:

Yours faithfully,

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

FORM II (B)**[See clause (b) of sub-regulation (1) and (4) of regulation 7]****Permission or Renewal of Permission to affix label on refrigerator under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022**

New Delhi, dated the.....

To

.....

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to affix label as per details of approvals set out in the Annexure appended to this form.


2. This permission is subject to—

- the star level displayed on the label of the refrigerator shall conform to energy consumption standards for refrigerator notified under clause (a) section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
- the label shall be affixed only on such model of refrigerator for which permission has been granted;
- the label shall be printed and affixed on the refrigerator at the cost of the permittee;
- the permittee shall ensure that the star level displayed on the refrigerator shall be maintained at all time;
- the permittee shall pay the label fee of five rupees per label;

6. Label Details

Equipment	
Type	
Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model Name/Number	
Year of manufacturing	
Total Volume (litre)	
Annual Electricity Consumption (kWh/year)	
Star level	
Label period	

3. Specimen of the label duly approved by Bureau to be affixed on the refrigerator is shown below.



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the refrigerator.

4. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.

Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM III

[See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of Permittees to be maintained by Bureau of Energy Efficiency (template)

Sl. No.	Application No. and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, Phone No., Fax No., E-mail, Website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or Efficiency level declared	Bureau of Energy Efficiency permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of Label Security Fee	Label Security Fee received by Electronic transaction (Details): Date:	Amount of Application Fees received	Details of Application Fee Amount received Electronic transaction (Details) : Date :
(8)	(9)	(10)	(11)

Total number of labels affixed during each financial year	Amount of labeling fee payable to Bureau of Energy Efficiency for each financial year	Labeling fee details received for each financial year (Electronic transaction Details): Date:)	Remarks
(12)	(13)	(14)	(15)

Form IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

DECLARATION by Permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model
(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of Corporate body/Permittee)

Date:**To**

**THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.**

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022 on revision of star level effective from

1. I/ We are the manufacturers / importers of refrigerator carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on refrigerator as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations, 2022 which would go for revision of star level with effect from
2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER)
3. Conformance to New Star level: I/We conform to the table change as per Table ... as specified in the notification number S.O. number.dated..... for refrigerator. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.
4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the refrigerator is enclosed.
5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	Declared Values	
	Total Volume (litre)	--
Annual Electricity Consumption (kWh/year)	--	
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] to [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.
7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said refrigerator model.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
9. I/we authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM V

[See sub regulation (4) of regulation 11]

Intimation to permittee to witness Challenge test/Second test

To

New Delhi, dated the.....

.....

.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations, 2022 you were permitted to affix label on the refrigerator vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled refrigerator from your authorized distributor/dealer/retailer vide Invoice numberdated..... for a price of Rs..... and lifted as a sample dated ___ by ___ for the purpose of suo motu testing or challenge testing. The samples were purchased by M/s , an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased refrigerator. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number----- was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorized representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s-----, a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3, 4 and 5 of the notification number S.O....dated..... for giving test report in accordance with the Form given in Annexure to the notification number S.O.

4. The details of the product and the *suo motu* test results (if applicable) is enclosed with this letter. Now, therefore in pursuance of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022, the Bureau is conducting *suo motu* test/challenge test (as applicable) on(date) at(Name of laboratory), accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

5. Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations 2022, the Bureau hereby intimates to-

(i) nominate an official to witness challenge test/second test on the above date specified along with an authorisation letter indicating (in original) the name, designation and signature of the nominated official (the letter shall be duly signed and stamped by authorized signatory of the company).

(ii) deposit such cost towards procurement, transportation, testing and other incidental expenses as mentioned in Annexure appended to this form, within fifteen days from the date of issuance of this letter (the expenses shall be deposited through electronic mode).

6. You may note that the Bureau shall continue the verification by challenge test or second test, even if the aforementioned expenses are not made in time or the officials are not nominated as specified and shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations 2022.

7. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

Enclosures:

1. Details of product/ *suo motu* test results
2. Annexure
3. Invoice related to the expenses

Annexure

[See para 5 of Form V]

Details of Information

1. Product or equipment details picked up for challenge test/second test

Brand name:
Unique label series code:
Model name/Model number:
Type:
Total Volume (litre):
Year of manufacturing:
Annual Electricity Consumption (kWh/year)
Star level

2. Amount to be deposited to the Bureau:

Details	Numbers/ expenses (in Indian Rupee)
Number of samples	
Cost per sample	
Total purchasing cost	
Total testing charges	
Transportation charges (if applicable)	
Others (if applicable)	
Total amount to be paid by the permittee	

3. Results of *suo moto* test (if applicable):

Sl. No.	Brand	Model Name/ No.	Measured Values			Declared Values			Remarks
			Total Volume (litre)	Annual Electricity Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	Total Volume (litre)	Energy Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	

Date.....

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

FORM VI

[See sub-regulation (5) of regulation 11]

Direction to Permittee on failure of second check testing

To

New Delhi, dated the.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022, you were permitted to affix label on the refrigerator vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under Regulation ... of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled refrigerator from your authorised Distributor, dealer, retailer vide Invoice numberdated for a price of Rs..... and lifted as a sample datedby M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased refrigerator. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number.....was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency.

3. The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4 and 5 of S.O.numberdated the for giving Test Report in accordance with the Annexure to S.O.. number..... dated the

4. The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identification serial number is enclosed. The results of the Test Report indicated that the sampled refrigerator failed to meet the electricity consumption in units per year, standard, specified total volume etc. and did not conform to the Test details furnished by you in Form I-A annexed to the application submitted by you for seeking permission to affix label on the Refrigerators manufactured/imported by you. The Test Results were sent to you vide Bureau of Energy Efficiency letter No... .. dated.....in the name of your authorised Contact person. You were also requested to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s.....

5. The Sample for second check verification Test were picked up dated the through our authorised Agency M/s.and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory transported by our authorised Agency, duly sealed by M/s..... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained fromunder signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

6. The Test results of second check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorised personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O.number dated, and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Refrigerators manufactured/imported and sold in the market .

7. Now, therefore in exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022, the Bureau hereby directs to :-

- (i) correct the star level displayed on the label of the Refrigerators or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- (iii) change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within 10 days after the expiry of two months i.e. by In case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of clause (b) of sub-regulation (6) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022.

9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (5) (6)(7) and (8) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency(Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022.

Secretary,

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacturer

Form VII

[See sub-regulation (6) of regulation 11]

Compliance Report

(To be furnished on the letter head of the organisation)

To

Dated.....

THE SECRETARY,
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022, we M/s..... the manufacturer of refrigerator were permitted to affix label on the refrigerator conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number.....dated..... to take necessary corrective action. In the light of directive issued by Bureau of Energy Efficiency, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the refrigerator to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature.....
Name.....
Designation.....
For and on behalf of.....
Name of the Company/Firm etc
Seal of the Firm/Company”.


Schedule

[See sub-regulation (2) of regulation 3]



Particulars to be displayed on labels of refrigerator.

(1.) Label design

(i) Dimension:



(ii) Color scheme:



BLUE –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%, Luminance or lightness(L) :61,
chromatic components -a:-53 b:32, Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%, Web colour code -
#00AA56;

(2) Label Material

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.